

प्रकरण संख्या 98/2023 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. कालुराम पुत्र प्याराजी भील निवासी पालड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।

—वादी

बनाम

1. उदयलाल पुत्र भगवानलाल जी भील निवासी पालड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।
2. नाना पत्र भगुड़ा नाबालिग जरिये वली सरपरस्त माता ज्ञानी पत्नी भगुड़ा जी भील निवासी पालड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।
3. लीला पुत्र भगुड़ा नाबालिग जरिये वली सरपरस्त माता ज्ञानी पत्नी भगुड़ा जी भील निवासी पालड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।
4. उदयलाल पुत्र हीरा जी भील निवासी पालड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।
5. उंकार पुत्र रत्ता जी भील निवासी पालड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।
6. केसर पुत्री हीरा जी भील निवासी पालड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।
7. गणेशलाल पुत्र हीरा जी भील निवासी पालड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।
8. राधीबाई पत्नी हीरा जी भील निवासी पालड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।
9. घीसा पुत्र भगुड़ा नाबालिग जरिये वली सरपरस्त माता ज्ञानी पत्नी भगुड़ा जी भील निवासी पालड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।
10. देऊ पुत्री हीरा जी भील निवासी पालड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।
11. नंदा पुत्र घीसा जी भील निवासी पालड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।
12. रामीबाई पत्नी मांगु जी भील निवासी पालड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।
13. पन्सु पुत्र लालु जी मीणा निवासी रानपुर तहसील पपीलखूंट जिला प्रतापगढ़।
14. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1- श्री ऋषभ सेठिया - अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक :-10.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री ऋषभ सेठिया वादी अधिवक्ता पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेड़ा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाके मौजा पालड़ी पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 36 की आराजी नंबर 84 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 85 रकबा 0.1300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3800 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 27.12.2023 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.09.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1 श्री कालूराम पिता प्यारा भील

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)
68/1	0.53
74/1	0.39
84/1	0.12
85/1	0.07

कुल किता-4 1.11



2 श्री उदयलाल पिता भगवाना भील 1/2 रहन बदस्तुर, श्री नाना पिता भागुड़ा ना. बा.स.प. माता ज्ञानी भील 1/6, श्री घीसा पिता भागुड़ा ना.बा.स.प. माता ज्ञानी 1/6

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)
84 मीन	0.13

85 मीन

0.06

कुल किता-2

0.19

3 श्री उदयलाल पिता भगवाना भील 77/288 रहन, श्री उदयलाल पिता हीरा भील 1/45, श्रीमति केसर पिता हीरा भील 1/45, श्री गणेशलाल पिता हीरा भील 1/45, श्रीमति देउ पिता हीरा भील 1/45, श्रीमति राधीबाई पति हीरा भील 1/45, श्री उंकार पिता रत्ता भील 1/9, श्री नाना पिता भागुड़ा भील 1/96, श्री घीसा पिता भागुड़ा ना.बा.स.ह. माता श्रानी 1/18, श्रीमति रामीबाई पति मांगू भील 55/369, श्री नंदा पिता घीसा भील 1/9, श्री पन्सु पिता लालू मीणा 68/369 सा. रानपूर

आराजी न. रकबा (हैक्टयेर)

68	1.60
74	0.69
75	0.04
81	0.44

कुल किता-4

2.77

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज मुबलिक..... बाबत.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..... को अदा करे

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.10.2024 को जारी की

गई।

मुहर



दस्तखत

ओहदा

सहायक कलक्टर

निम्बाहेड़ा

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
.....				
स्टाम्प वकालतनामा	..		स्टाम्प वकालतनामा		
.....				
स्टाम्प वजह सबूत	..		स्टाम्प वजह सबूत		
.....				
महनताना वकील	...		महनताना वकील		
.....				
खर्चा गवाहान.	...		खर्चा गवाहान		
.....	0	0	0	0
फीस कमिश्नर.	..		फीस कमिश्नर		
.....				
बाबत इजराय हुकमनामा	.		बाबत इजराय हुकमनामा		
.....				
मुतफरिक	.		मुतफरिक		
.....				
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।